

3

न्यायालयमें, श्रीमान् राजस्व मण्डलमन्त्रालयपर य0प्र0 ।

बु. 61
क. 1-15

श्री श्रीमन्मि. लाल... निवासी
आवेदक/अभिप्रेतों द्वारा प्रस्तुत

सीए-1

अवेदक
कार्यालय कमिश्नरी
शहडोल संभाग प्रामिलन पिता चिकनिया बजार,



निगरानी/488-ए-15

निवासी कुममहाबुर्द तहसील पाली, जिला उमरिया य0प्र0---- निगरानीकर्ता

// बनाम //

1. कुमिनाबाई पिता गोपाली चर्मकार,
2. शान्तीबाई पिता लालूबैगा, दोनों निवासी कुममहाबुर्द तहसील पाली

जिला उमरिया य0प्र0 ।

— गैरनिगरानाकरण

निगरानी विरुद्ध निर्णय आयुक्त महोदय शहडोल संभाग
शहडोल के ए0प्र0क्र0 293/निग0/08-09 आदेशादि
17. 11. 2014 एवं आदेश विरुद्ध निगरानी कलेक्टर उमरिया
प्र0क्र0 54/निग0/06-07 आदेश दिनांक 15. 10. 2007

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 प्र0क्र0 का 0 मी 0

क्रमांक 5698-
रजिस्ट्रार पाली आज
दिनांक 9/6/15 प्राप्त
श्रीमान्यवर,
राजस्व मन्त्रालय

आवेदक निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करप्रार्थी है :-

1. यहकि, प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय का आदेशकानूनन एवं वाक्यात्न गलत है ।
2. यहकि, प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय ने इसकानूनी बिन्दु परगौर नहीं किया हैकि, ग्राम कुममहाबुर्द तहसील पाली जिला उमरिया य0प्र0 स्थित आराजी नं0- 150 पर आवेदक का कब्जा खैल अर्वा दरान से है तथा इसी आराजी से संलग्न अंतरानं0- 151 का तत्कालीन श्रीमस्वामीबसन्त कलार आवेदकको दे गयाथा इसकारण आवेदक का कब्जा 151 पर भी रहता है ।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालयने नियमानुसार झतकारका प्रकाशन नहीं किया गलत तरीके से आवेदक के फल परबोली लगाकर अंतिम आदेश पारित कर दिया ।

3/ [Signature]


11/21
राजस्व मन्त्रालय

R 1483-II/15 उभाभा

3-3-15

कावेरु-को दिनांक-20-10-15
 का सम्मन भेजा गया। (कमीठ का ठेका
 दिनांक 01-10-15 को जाला) कावेरु-
 सुचना उपरान्त अनुपातित। आस
 इसमें कावेरु-की उभाभा लीने
 लगे। एक पेशी का काँ. समय दिना
 का। परंतु कावेरु उभाभा नहीं।
 समय समय पर लीने का। पुका
 लाना का। उनकी लीने का

शासकमुखा-766-फॉर्म-23-3-13-10,000 प्रपत्र.



- 2 -

कावेरु का ठेका

R 1483-II/15 उभरिया

कोई उपस्थित नहीं। आदेश के
अनुपस्थिति के कारण प्रमाण
अदम्य वेरी में रजिस्ट्रार किया
गया है प्रमाण उपलब्ध नहीं
है।

